न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री संजीव कुमार खेदड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 1/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गेपालाराम पुत्र रामचन्द्र 2. जगरामाराम पुत्र रामचन्द्र 3. पोकराराम पुत्र रामचन्द्र 4. गणपतलाल पुत्र भागीरथ 5. प्रकाश पुत्र भागीरथ 6. अमकु देवी पत्नी भागीरथ जातियान–विश्नोई निवासी बाड़ी (हरियाली) तह–सांचौर जिला जालोर राजस्थान		1. कानाराम पुत्र दरगाराम 2. तेजाराम पुत्र दरगाराम 3. अखाराम पुत्र मोतीराम 4. गणेशाराम पुत्र जेठाराम 5. रावताराम पुत्र जेठाराम 6. लाखाराम पुत्र जेठाराम 7. तलसारामपुत्र मानाराम जातियान–कलबी निवासीगण–बाड़ी,(हरियाली) तह–सांचौर जिला जालोर राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :–

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इब्रहीमशाह उपस्थित।
2– अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।

–:आदेश:–

दिनांक :- 28.07.023

दिनांक

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन किया कि गांव बाड़ी पटवारी हल्का हरियाली तहसील सांचोर जिला जालोर में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 37 रकबा 3.33 हैक्टर किस्म बारानी दर्ज है। उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.31 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व रहवास है प्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा संख्या 37 में आवागमन करने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नही है तथा उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 2.02 हैक्टर खसरा नम्बर 39 रकबा 2.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 40 रकबा 2.21 हैक्टर भूमि के दक्षिण दिशा में करीबन 12 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से A से B दर्शाया है। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौजा बाड़ी पटवार हल्का हरियाली के खसरा नम्बर 37 के रकबा 3.33 हैक्टर भूमि का आया हुआ है तथा हम अप्रार्थीगण का खेत उक्त खसरा नम्बर का आया हुआ है। प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के खसरान की भूमि के दक्षिण दिशा में 12 फिट चौड़े रास्ते की मांग की है जो निकटतम दूरी का रास्ता नही है। तथा निकटतम दूरी का रास्ता हमारे जवाब के साथ नक्शा परिशिष्ट ''ब'' में मार्क C से D तक है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिकतम दूरी का है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते बाबत भूमिधारी तहसीलदार सांचौर से मौका जांच रिपोर्ट तलब करवाई गई, जो दिनांक 12.10.2021 को संलग्न पत्रावली की गई। उक्त मौका जांच के अनुसार भू.अ.निरीक्षक अरणाय ने जाहिर किया है कि खसरा नम्बर 37 में आवागमन हेतु पड़ौसी खेत खसरा नम्बर 38,39,40 में रास्ते की मांग की गई है। जिसमें पाया गया, कि जो प्रार्थीगण के माठ से लगती हुई निकटतम रास्ते की दूरी है खसरा नम्बर 38 में से 70 मीटर, खसरा नम्बर 39 में से 85 मीटर व खसरा नम्बर 40 में से 96 लम्बाई में तथा 12 फिट चौड़ाई के अनुसार कुल रकबा 0.0919 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु आवश्यकता रहेगी। जिसकी उप पंजीयन सांचौर की डी.एल.सी. दर अनुसार खसरा नम्बर 38 के काश्तकार अप्रार्थी [illegible] पुत्र दरगाराम व [illegible] 188 रूपये व तेजाराम पुत्र दरगाराम के नाम कुल र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.31 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 39 के काश्तकर अप्रार्थी अखाराम पुत्र मोतीराम व गणेशाराम, रावताराम, लाखाराम पुत्र जेठाराम के नाम कुल राशि 35320 रूपये व खसरा नम्बर 40 के काश्तकार अप्रार्थी तलसाराम पुत्र मानाराम के नाम कुल राशि 39863 रूपये बनती है। उक्त मौका जांच करते समय अप्रार्थीगण को भू.अ.निरीक्षक अरणाय द्वारा उपस्थित हेतु सम्पर्क किया गया तो अप्रार्थी कानाराम व अखाराम मौके पर उपस्थित हुए। जिनके रूबरू उक्त मौका जांच बनाई गई।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.04.2023 को पुनः मौका जांच रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार सांचौर से पुनः मौका जांच रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम एवं सुविधाजनक है।

मैनें उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

प्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 37 रकाब
3.33 हैक्टर में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा
नम्बर 38 रकबा 2.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 39 रकबा 2.
00 हैक्टर व खसरा नम्बर 40 रकबा 2.21 हैक्टर में 12
फिट चौड़े रास्ते की मांग प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा
परिशिष्ट''अ'' में मार्क A से B के अनुसार रास्ते की मांग की
है । तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश कि गई मौका जांच रिपोर्ट
दिनांक 10.12.2021 व 13.04.2023 के अनुसार प्रार्थीगण
द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम एवं सुविधाजनक है। प्रार्थीगण
के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण
के खेत में आवागमन करने हेतु उपलब्ध नही है। इस प्रकार
प्रार्थीगण को मांगे गये रास्ते अनुसार रास्ते की अत्यधिक
आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये ऐतराज बाबत
कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही आने पर प्रार्थीगण द्वारा पेश किया
गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।
अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया गया,
प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.31 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 3.33 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 39 रकबा 2.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 40 रकबा 2.21 हैक्टर के दक्षिणी माठ पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार सांचौर को दिया जाता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेखो में रास्ता के रूप में अभिलिखत किया जायेगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा। खसरा नम्बर 38 के काश्तकारो को प्रतिफल राशि 29188 रूपये, खसरा नम्बर 39 के काश्तकारों को प्रतिफल राशि 35320 रूपये, खसरा नम्बर 40 के काश्ताकारों को प्रतिफल राशि 39863 रूपये की प्रत्येक को उक्त राशि की दो गुणा राशि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अदा करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण उक्त तीनों खसरा नम्बरान् के काश्तकारों के नाम अलग-अलग डी.डी. बनाकर पेश करे, तब उक्त आदेश की पालना बाबत तहरीर तहसीलदार सांचौर को जारी हो। तहसीलदार सांचौर को निर्देश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण की प्रतिफल राशि की डी.डी. अप्रार्थीगण को सुपूर्द करे, अप्रार्थीगण द्वारा डी.डी. अस्वीकार करने की सूरत में राज-मद में जमा की जावे।

(संजीव कुमार खैदड़)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.31 13:59:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आदेश आज दिनांक 28/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार खैदड़)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner